न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 28 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्याः— 2024 / 43

अपीलार्थीपक्षः—

1. नखतसिंह पुत्र उदयसिंह
2. गायड़सिंह पुत्र भूरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण देवराजगढ़, सोलकियां तल्ला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. अर्जुनसिंह पुत्र बाघसिंह
2. उत्तमसिंह पुत्र बाघसिंह
3. हरीसिंह पुत्र बाघसिंह
4. जसवन्तसिंह पुत्र बाघसिंह
5. भरतसिंह पुत्र बाघसिंह
6. अणचीकंवर पत्नी बाघसिंह
7. पदमसिंह पुत्र घेवरसिंह
8. रिड़मलसिंह पुत्र घेवरसिंह
9. शोभसिंह पुत्र घेवरसिंह
10. अणसीकंवर पत्नी घेवरसिंह
11. लक्ष्मणसिंह पुत्र घेवरसिंह
    नाबालिग वली माता अणसीकंवर समस्त जातियान राजपूत, निवासीगण देवराजगढ़, सोलकियां तल्ला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर
12. तहसीलदार तहसील शेरगढ़।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध शुद्धिपत्र क्रमांक संख्या 02 आदेश दिनांक 14.06.2021 में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत, श्री भंवरलाल चौधरी, श्री राजेन्द्र चौधरी (अपीलार्थी पक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सुनील पटेल (रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक :— 29.11.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध शुद्धिपत्र क्रमांक सं. 02 आदेश दिनांक 14.06.2021 जो तहसीलदार (भू—अभिलेख)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किये जाने हेतु पेश की है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवराजगढ़ के खसरा संख्या 1330 रकबा 163 बीघा 3 बिस्वा में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आधार के एवं बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये जरिये शुद्धि पत्र आदेश दिनांक 14.06.2021 रेस्पोडेण्ट के हिस्से में आधा हिस्सा दर्ज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस जारी किये गये, जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। न्यायालय हाजा के पत्र क्रमांक 322 दिनांक 17.09.2021 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय से जरिये पत्र क्रमांक 2244 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। प्रकरण में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस दिनांक 25.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 29.11.2024 को आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 1330 की शुद्धि किये आदेश की नकल लेने के लिए दिनांक 04.07.2021 को पटवारी हल्का के पास गये, तो पटवारी हल्का ने कहा कि नकल तहसील कार्यालय से मिलेगी, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय में दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार द्वारा नकल पटवारी हल्का को देने का आदेश दिये जाने पर पटवारी ने आदेश दिनांक 14.06.2021 की नकल दिनांक 23.07.2021 को दी, जिस पर अपीलार्थी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेण्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश किया जाकर उक्त अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाकर उक्त अपील अंदर म्याद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये उक्त आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का व तहसीलदार ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना रेस्पोडेण्ट का हिस्सा 1/2 दर्ज करने में कानूनी भूल की है जबकि अपीलाण्ट का वक्त सैटलमेन्ट वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1330 में पट्टा जारी किया गया था। उसमें अपीलाण्ट के नाम से जारी पट्टे में 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट का दर्ज है एवं उसके बाद की जमाबंदियों में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज होता आया है। पटवारी हल्का द्वारा केवल सम्वत् 2050-53 की जमाबंदी में गलत दर्ज इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेण्ट का 1/2 हिस्सा मानकर शुद्धि करने का आदेश पारित किया गया। बहस के अन्त में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन शुद्धि पत्र आदेश दिनांक 14.06.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर बताया कि अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह अंकित नहीं

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया कि दिनांक 14.06.2021 जो तहसीलदार भू. अ. शेरगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू. अ.)नियम 1957 के नियम 166 के तहत रिकॉर्ड में अशुद्धियों की दुरस्ती के लिए आदेश फर्द बदर पर लिया जाकर पूर्व में सम्वत् 2050–53 व उससे पूर्व की जमाबंदियों में अप्रार्थी व उनके पिता एवं भाईयों के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था जो लिपिकीय त्रुटिवश जमाबन्दी सम्बव् 2054–57 व उसके बाद की जमाबन्दी में उपरोक्त का 1/2 दर्ज होने से रह गया था। जानकारी होने पर जमाबन्दी में पुनः 1/2 हिस्सा नियम 166 (भू.अ.) 1957 के तहत किया गया। उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी/अपीलाण्ट को किस दस्तावेज एवं किस दिनांक को जानकारी में आई उक्त म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कही भी ना तो अंकित किया गया है ना ही जानकारी संबंधी दस्तावेज पेश किये। प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 14.06.2021 की शुरू से रही है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर 23.07.2021 को जानकारी होना बताया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्त में अपीलाण्ट द्वारा जानकारी होने के नियत अवधि बाद प्रार्थना पत्र बिना स्पष्टीकरण के प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2021 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 02.08.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा बिना सूचना के पारित किया गया हैं। अतः न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। फर्द बदर के इन्द्राजों के निपटान के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सुनना जरूरी नहीं है। (नियम–166 (2))

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का व तहसीलदार ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना रेस्पोडेण्ट का हिस्सा 1/2 दर्ज करने में कानूनी भूल की है, जबकि अपीलाण्ट का वक्त सैटलमेन्ट वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1330 में पट्टा जारी किया गया था, उसमें अपीलाण्ट के नाम से जारी पट्टे में 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट का दर्ज है एवं उसके बाद की जमाबंदियों में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज होता आया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों की नकलों अनुसार रिकार्ड की स्थिति इस प्रकार हैः–

1. खसरा नं. 1330–163 बीघा 3 बिस्वा

   खतौनी बन्दोबस्त **2013–2032**

   सांगसिंह पुत्र हेमसिंह, कुशाल सिंह पुत्र मुकनसिंह = 1/6

   दीपसिंह पुत्र रामसिंह, देवीसिंह पुत्र चन्दरसिंह = 1/6

   उदयसिंह, भूरसिंह पुत्र [illegible] = 1/2

2. खतौनी बन्दोबस्त **2014–2017**

   सांगसिंह पुत्र हेमसिंह, कुशल पुत्र मुकनसिंह = 1/6

   दीपसिंह पुत्र रामसिंह, देवीसिंह पुत्र चन्दरसिंह = 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

उदयसिंह, भूरसिंह पुत्र सिमरथसिंह = 1/2

3. खतौनी बन्दोबस्त **2021–24**

सांगसिंह पुत्र हेमसिंह, कुशलसिंह पुत्र मुकनसिंह = 1/6

दीपसिंह पुत्र रामसिंह = 1/6, देवीसिंह पुत्र चन्दरसिंह = 1/2

उदयसिंह, भूरसिंह पुत्र सिमरथ सिंह = 1/6 जरिये नामान्तरण सं. 166

4. खतौनी बन्दोबस्त **2025–2028**

सांगसिंह, कुशलसिंह = 1/6

दीपसिंह = 1/6, देवीसिंह = 1/2

नखतसिंह, गायड़ सिंह= 1/6

5. खतौनी बन्दोबस्त **2029–32**

सांगसिंह, कुशालसिंह = 1/6, दीपसिंह = 1/6

देवीसिंह पुत्र चन्दरसिंह = 1/2

नखतसिंह, गायड़सिंह = 1/6

6. खतौनी बन्दोबस्त **2033–2036**

सांगसिंह, कुशाल सिंह = 1/6

गणपत सिंह पुत्र दीपसिंह = 1/6

दलपतसिंह, बागसिंह, घेवरसिंह पुत्र देवीसिंह = 1/2

नखतसिंह, गायड सिंह = 1/6

7. खतौनी बन्दोबस्त **2036–2040**

सांगसिंह, कुशाल सिंह = 1/6

गणपत पुत्र दीपसिंह = 1/6

दलपत सिंह, बागसिंह, घेवरसिंह पुत्र देवीसिंह = 1/2

नखतसिंह, गायड़ सिंह = 1/6

8. खतौनी बन्दोबस्त **2041–2044**

सांगसिंह (रावलसिंह, चेनसिंह, राणीदानसिंह (फौत), गोरधनसिंह (फौत) पुत्र सांगसिंह, सिरेकंवर पत्नी सांगसिंह)

खुशालसिंह (फौत) =1/6

(अफूलसिंह, पदमसिंह, चतणसिंह पुत्र [illegible]), जेठकंवर पत्नी गणपत सिंह =1/6

दलपतसिंह (लाऔलाद) [illegible] देवीसिंह = 1/2

नखतसिंह, गायड़ सिंह = 1/6

अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने फर्द बदर अन्तर्गत नियम 166 राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2021 को विधि सम्मत व रिकॉर्ड के आधार पर पारित होने से यथावत रखने की प्रार्थना की तथा कथन किया कि सम्वत् 2050–53 व उससे पूर्व की जमाबंदियों में अप्रार्थी व उनके पिता व भाईयों के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था जो लिपिकीय त्रुटिवंश जमाबंदी सम्वत् 2054–2057 व उसके बाद की जमाबंदियों में उपरोक्त का 1/2 हिस्सा दर्ज होने से रह गया था व जानकारी होने पर जमाबंदी में पुनः 1/2 हिस्सा नियम 166 भू–अभिलेख के तहत किया गया। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ग्राम सोलंकिया तला के खसरा नं. 1330 का नामान्तरकरण संख्या 166 की फोटो प्रति तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–24, 2025–2028, 2029–2032, 2033–2036, 2037–2040, की फोटो प्रतियां तथा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के न्यायालय में पेश राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की फोटोकॉपी पेश की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत बहस में पेश तर्कों का मनन/अवलोकन किया तथा विधि प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन किया। ग्राम सोलंकियां तला की खतोनी बंदोबस्त सम्वत् 2013–2032 के खाता संख्या –450 में खसरा नम्बर 1330 रकबा – 163–03 बीघा की आराजी खातेदार सांगसिंह पुत्र हेमसिंह, कुशालसिंह पुत्र मुकनसिंह 1/6 हिस्सा, दीपसिंह पुत्र रामसिंह, देवीसिंह पुत्र चन्दरसिंह' 1/6 हिस्सा, उदयसिंह, भूरसिंह पिता सिमरथसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2014–2017 में भी उक्तानुसार ही इन्द्राज है परन्तु जमाबंदी सम्वत् 2021–2024 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 166 से उदयसिंह, भूरसिंह पिता सिमरथसिंह का हिस्सा परिवर्तित कर 1/2 के स्थान पर हिस्सा 1/6 दर्ज किया है यह नामान्तरकरण फौतेदगी से सम्बंधित है तथा उक्त नामान्तरकरण से दीपसिंह पुत्र रामसिंह का हिस्सा 1/6 तथा देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह का हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया (पूर्व में दीप सिंह व देवीसिंह का 1/6 ही था) जो बिना किसी सक्षम अधिकारी /न्यायालय के आदेश से दर्ज किया गया है। ये इन्द्राज सम्वत् 2050–2053 की जमाबंदी में भी यथावत है परन्तु फर्द बदर के कॉलम 4 में अंकित विवरण अनुसार उक्त इन्द्राजों को बदल कर देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह का 1/2 हिस्सा में परिवर्तन किया गया प्रतीत होता है। देवीसिंह के पुत्र दलपतसिंह, बागसिंह व घेवरसिंह थे, जिनके नाम 2033–2036 की जमाबंदी में 1/2 हिस्सा दर्ज है। बागसिंह के वारिश रेस्पोन्डेण्टस संख्या 1 से 6 तथा घेवरसिंह के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 7 से 11 तक है, जिनके पक्ष में विवादास्पद शुद्धिपत्र से आराजी में 1/2 हिस्सा पुनः दर्ज किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है जिनके नाम जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 202 में 1/12 प्रत्येक का (1/6 कुल आराजी में) हिस्सा दर्ज है जबकि मिसल बंदोबस्त 2013–2032 के अनुसार 1/2 हिस्सा होना चाहिए, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 166 से हिस्सेदारी में परिवर्तन किया गया है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 23 के अनुसार एक्ट की अनुसूची प्रथम के क्रमांक 7 अनुसार न्यायिक प्रकरण है तथा नामान्तरकरण का आदेश न्यायालय द्वारा पारित आदेश है जिसमें RLR (LR) Rules, 1957 के नियम 166 (1) के अन्तर्गत फर्द बदर के जरिए शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित नहीं किये जा सकते है। तहसीलदार ने शुद्धिपत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व सम्पूर्ण रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं करके आंशिक (जमाबंदी) को देखकर अपीलाधीन आदेश पारित किए है जो विधि प्रावधानों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार के परे होने के कारण अपास्त योग्य होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2021, जो पूर्व ग्राम (सोलंकियां तला) वर्तमान ग्राम देवराजगढ़ तहसील शेरगढ़ के शुद्धिपत्र संख्या 2 पर पारित किया है, को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, शेरगढ़ में पेश एक राजस्व वाद बाबत इसी विवाद पर घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा रिकॉर्ड दुरुस्ती लम्बित होना बताया है, जिसका खण्डन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। सक्षम न्यायालय में पक्षकारों के हक, हकूकों, अधिकारों का निर्धारण हेतु लंबित नियमित वाद में होगा। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.2021 को अपास्त किया जाता है। मूल रिकार्ड तहसीलदार शेरगढ़ को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested